

# File No.P-12/RC/MultiEnterpriseProject/2021

Telephones :

भा.कृ.अनु.प.- केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान,

Director: 0184-2290501

जरीफा फार्म, काछवा रोड़, करनाल-132001 (हरियाणा)

SAO. : 0184-2291156

**ICAR-Central Soil Salinity Research Institute**

P.B.X : 2291399, 2209306

(A Unit of Indian Council of Agricultural Research)

Fax : 0184-2290480

Zarifa Farm, Kachhwa Road,

E-mail : [director.cssri@icar.gov.in](mailto:director.cssri@icar.gov.in)

KARNAL - 132001 (Haryana)

GST No: 06AAAAI 1830P1ZN



फा.सं. P-12/RC/MultiEnterpriseProject/2021

दिनांक: 02.03.2022

## टैण्डर नोटिस संख्या-1/2022

भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सचिव की ओर से निदेशक, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल द्वारा निम्नलिखित मद के लिए इच्छुक फर्मों से सीलबन्द टैण्डर (single bid system off-line mode) आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण इस प्रकार से है:-

क्रम सं.	कार्य का विवरण	कार्य स्थल	धरोहर राशि (रु)
1.	कृषि विविधीकरण परियोजना 02 हैक्टियर (5 एकड़) को ठेके पर देने हेतु। (2 साल के लिए 01.06.2022 से 31.05.2024)	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल	20,000/- (बीस हजार रुपये)

### सामान्य नियम एवं शर्तें:-

टैण्डर संस्थान की वैबसाइट [www.cssri.res.in](http://www.cssri.res.in) एवं Central Public Procurement Portal पर प्रकाशित किया जा रहा है। उपरोक्त टैण्डर फार्म पूर्ण विवरण सहित उपरोक्त वैबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। सीलड टैण्डर कृपया आई.सी.ए.आर यूनिट-केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल के नाम भेजें और टैण्डर फार्म के साथ धरोहर राशि रु. 20,000/- का बैंक ड्राफ्ट ICAR Unit-CSSRI, Karnal के नाम लगाना अनिवार्य होगा, बगैर धरोहर राशि के टैण्डर फार्म मान्य नहीं होगा।

सीलड टैण्डर संस्थान में आकर टैण्डर बाक्स में डाला जाए। निविदा बाक्स सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में रखा हुआ है।

टैण्डर जारी करने की तिथि	03.03.2022 सांय 9.00 बजे
टैण्डर फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	22.03.2022 दोपहर 1.00 बजे तक
टैण्डर फार्म खोलने की तिथि	22.03.2022 अपराह्न 3.00 बजे

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

टेलीफोन न0. 0184-2209308

टैण्डर नोटिस संख्या- 1/2022

दिनांक: 02.03.2022

टैण्डर की नियम एवं शर्तें

कृषि विविधीकरण परियोजना (02 हैक्टेयर) को ठेके पर देने के लिए नियम एवं शर्तें

1. ठेकेदार को कृषि विविधीकरण परियोजना में चलने वाली परियोजना के सभी फसल, जानवर एवं संबंधित घटक, संस्थान परियोजना संबंधित अधिकारी की देख-रेख में व उसकी सलाह के अनुसार लगाने होंगे।

कृषि विविधीकरण परियोजना के घटक -

- (1) अन्न उत्पादन (1.0 हैक्टेयर)
  1. धान-गेहूँ-मूंग फसल प्रणाली (0.33 हैक्टेयर)
  2. मक्का-गेहूँ-मूंग फसल प्रणाली (0.33 हैक्टेयर)
  3. धान-गेहूँ फसल प्रणाली (0.33 हैक्टेयर)
- (2) चारा उत्पादन (0.4 हैक्टेयर) - ज्वार एवं बरसीम ।
- (3) सब्जी उत्पादन (0.2 हैक्टेयर)- टमाटर, घीया, खीरा, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि।
- (4) फल उत्पादन (0.2 हैक्टेयर) – अमरूद एवं केला ।
- (6) मछली उत्पादन एवं अन्य संबंधित घटक (0.2 हैक्टेयर)

- तालाब की मुंडेर पर फलदार वृक्ष जैसे अमरूद, केला, आँवला एवं करौंदा लगा है तथा इनकी देख-रेख (गड्ढे बनाना, खाद डालना, पानी देना इत्यादि) अधिकारी की सलाह के अनुसार करनी होगी। फलदार वृक्षों के बीच खाली स्थान पर मौसम के अनुसार विभिन्न सब्जियाँ उगाई जानी हैं।

अन्य:-

- (1) **पशुपालन:** ठेकेदार अपने दूध देने वाले 2 या 3 पशु (भैंस या गाय) पशुबाड़े में रख सकता है। परन्तु संस्थान द्वारा दिए गए व्यस्क दुधारू पशुओं और ठेकेदार के दुधारू पशुओं की संख्या 06 से ज्यादा न हो। इसके अलावा ठेकेदार इनके छोटे बछड़ा/बछड़ी या कटड़ा/कटड़ी भी रख सकता है। ध्यान रहे कि कुल पशु संख्या 10 पशुओं से ज्यादा न हो। ठेकेदार द्वारा पशुओं का बीमा करवाना अनिवार्य होगा।
- (2) **मुर्गी पालन** - संस्थान के अधिकारी की देख-रेख में उसकी सलाह के अनुसार करना होगा। ठेकेदार बत्ख पालन भी कर सकता है।
- (3) कम्पोस्ट उत्पादन
- (4) जैविक गैस

(5) इसके अलावा ठेकेदार एक या दो कोई अन्य घटक, संस्थान के अधिकारी की सलाह के बाद निदेशक महोदय की स्वीकृति से कर सकता है।

**नोट:-**

1. उपरोक्त घटकों के संचालन हेतु संस्थान दो हैक्टेयर जमीन, ऊपरलिखित पशु यार्ड, मुर्गी बाड़ा, मछली तालाब, गोबर गैस प्लांट आदि उपलब्ध करायेगा। इनके लिए प्रयुक्त होने वाली अन्य वस्तुओं की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।
2. संस्थान परियोजना संबंधित अधिकारी की सलाह से फसलों एवं जानवरों का प्रबंधन संस्तुत की गई मानक तकनीक के अनुसार करना होगा।
3. खेत की जुताई एवं सामान की ढुलाई व अन्य संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार को ट्रैक्टर संस्थान की तरफ से डीजल खर्च के आधार पर उपलब्धता के अनुसार दिया जा सकता है। इसका खर्च प्रति घन्टे या प्रति एकड़ के हिसाब से फार्म प्रबन्धक द्वारा निर्धारित दर के अनुसार संस्थान में जमा करवाना पड़ेगा।
4. फसलों की सिंचाई, मछली तालाब एवं जानवरों के लिए पानी संस्थान की तरफ से उपलब्ध कराया जायेगा। सिंचाई एवं अन्य घटकों पर बिजली उपयोग का खर्च हरियाणा में किसानों के लिए निर्धारित ट्यूबवैल की दरों का 30 प्रतिशत ठेकेदार द्वारा देय होगा।
5. मछली का बीज डालने से लेकर बेचने तक की सभी बातें मछली संबंधित संस्थान के अधिकारी की सलाह से करनी होगी।
6. मछली एवं दूध को बेचने की दरें फार्म प्राइयूस डिस्पोजल कमेटी एवं ठेकेदार की सलाह से मिलजुल कर निर्धारित की जायेगी तथा इनको संस्थान के कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर बेचा जायेगा तथा शेष उत्पाद ठेकेदार अपनी इच्छा से कहीं भी बेच सकता है।
7. जानवरों की देख-रेख, बीमारी से बचाव, खान-पान आदि का प्रबन्धन ठेकेदार को संस्तुत की गई मानक तकनीक के अनुसार करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर ठेकेदार अपने द्वारा लाये गये कटड़े या बछड़े को बेच सकता है तथा इससे प्राप्त आय ठेकेदार की होगी।
8. ठेकेदार की अनदेखी/लापरवाही की वजह से आंधी, तूफान, औलावृष्टि एवं अन्य पर्यावरण से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
9. ठेकेदार को कृषि विविधीकरण परियोजना क्षेत्र पर 24 घंटे उपस्थित रहना होगा। कृषि विविधीकरण परियोजना क्षेत्र में उपस्थित सभी फसलों, मछली एवं जानवरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। कोई भी नुकसान होने पर उसकी भरपाई ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।
10. कृषि विविधीकरण परियोजना के क्षेत्र में पड़ने वाले रास्तों, ढोलों एवं नालियों की साफ-सफाई, संस्थान के परियोजना अधिकारी के कहने पर करनी होगी।
11. ठेकेदार को कृषि विविधीकरण क्षेत्र की परियोजना में होने वाले क्रियाकलापों, आय एवं लागत का पूरा हिसाब हर महीने संस्थान के परियोजना संबंधित अधिकारी को देना अनिवार्य होगा।

12. कृषि विविधीकरण परियोजना में होने वाली कम्पोस्ट का उपयोग ठेकेदार फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए करेगा एवं इसको बेच नहीं सकता। जैविक गैस का उपयोग ठेकेदार अपने परिवार का खाना बनाने के लिए कर सकता है।
13. ठेकेदार द्वारा फार्म पर उपलब्ध संसाधनों या अन्य किसी भी वस्तु के नुकसान होने पर उसकी भरपाई संस्थान के निदेशक की निर्धारण अनुसार एवं उनकी अनुमति से करनी होगी।
14. कृषि विविधीकरण परियोजना में होने वाले उत्पाद को संस्थान के बाहर गेट पास के माध्यम से कार्यालय के समयानुसार (सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक) ही जाने दिया जायेगा।
15. ठेका छोड़ने के लिए बन्द लिफाफे में निविदाएं आमन्त्रित की जायेगी एवं 20,000/- रुपये का बैंक डिमांड ड्राफ्ट ICAR Unit-CSSRI, Karnal के नाम से सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा कराना होगा। उच्चतम् बिडर की सिक्योरिटी मनी संस्थान में ठेका अवधि समाप्ति के एक माह बाद देय होगी।
16. उच्चतम् बीडर को ठेका छुटने के बाद 25 प्रतिशत राशि 10 दिन के अन्दर जमा करानी होगी। यदि राशी 10 दिन के अन्दर जमा नहीं करायी तो उसको बिना सूचित किये उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी सिक्योरिटी राशी भी जब्त कर ली जायेगी। शेष 75 प्रतिशत राशी 6 6 महीने पूरे होने पर 3 किशतों 10 दिनों के अन्दर-अन्दर जमा करानी होगी अन्यथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। ठेके की देय राशि की अवधि निदेशक महोदय की पूर्वानुमति से 2 प्रतिशत प्रति माह की ब्याज दर के साथ बढ़ाई जा सकती है।
17. कृषि विविधीकरण परियोजना को दो वर्ष की अवधि के लिए ही ठेके पर दिया जायेगा। ठेके की अवधि को आपसी सहमति के बाद निदेशक महोदय की अनुमति से एक वर्ष के ठेके से 5% बढ़ी हुई दर के साथ तीसरे वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
18. संस्थान परिसर में मदिरा/शराब का सेवन, लड़ाई-झगड़ा आदि ठेकेदार या उसके किसी भी सदस्य/संबंधी द्वारा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी तथा ठेका तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।
19. ठेकेदार या उसके किसी भी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटने पर संस्थान उसके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
20. ठेकेदार कृषि विविधीकरण परियोजना के किसी भी घटक को उपठेकेदार को नहीं दे सकता है। ठेकेदार को कृषि विविधीकरण परियोजना के सभी फसल एवं जानवरों संबंधित घटकों की देख-रेख का खर्च स्वयं वहन करना होगा।
21. संस्थान के निदेशक द्वारा बिना कारण बताये कृषि विविधीकरण परियोजना का ठेका कभी भी निरस्त किया जा सकता है।
22. फर्म को किसी अन्य विभाग द्वारा ठेके आदि के कार्यों के लिये ब्लैक लिस्ट न किया गया हो।
23. नियम या शर्तों के अर्थ समझने या अमल में लाने अथवा किसी भी अन्य विवाद का निबटारा करना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

मैंने उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं और इन्हें मंजूर करते हुए मैं प्रति एकड़/प्रति वर्ष रूपये \_\_\_\_\_ (रूपये \_\_\_\_\_) में ठेके पर लेने के लिए तैयार हूँ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम व पूरा पता: \_\_\_\_\_

टेलिफोन न. \_\_\_\_\_